प्रकाशित अधिसूचना सं. 27/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 30 अगस्त, 2017 के क्रम संख्यांक 2(i) और क्रम संख्यांक 2(ii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (भाग)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

No. 74/2017–Central Tax

G.S.R. 1601(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2018, as the date from which the provisions of serial numbers 2(i) and 2(ii) of notification No. 27/2017–Central Tax dated the 30th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1121(E), dated the 30th August, 2017, shall come into force.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

सं. 75/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1602(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 17 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति को उपनियम (1) के अधीन दिया गया विशिष्ट पहचान संख्यांक भारत के राज्यक्षेत्र में लागू होगा ।";

(ii) नियम 19 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की किसी विशिष्टि का, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आयुक्त के आदेश के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख से, जो सामान्य पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटीआरईजी-14** में आवेदन प्रस्तुत करने, की तारीख से पूर्वतर हो, संशोधन नहीं किया जाएगा ।"

(iii) 23 अक्तूबर, 2017 से नियम 89 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर का संदाय किए बगैर माल या सेवाओं या दोनों के शून्य दर प्रदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा, -

प्रतिदाय की रकम = (माल के शून्य दर प्रदाय का आवर्त + सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त) X शुद्ध आई टी सी ÷ समायोजित कुल आवर्त

जहां,-